केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :48 अंक 62 मंगलवार 22 सितम्बर 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

बिजली के पोल में करंट से युवक की मौत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में सोमवार सुबह एक युवक की बिजली के पोल से करंट लगने से मौत हो गई। 26 साल का इरफान पुत्र तैयब अली काम से जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

जानकारी के अनुसार, इरफान सुबह करीब 10 बजे रास्ते में लगे बिजली के पोल के संपर्क में आ गया। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत परिजनों और पुलिस को सूचना दी। परिजनों ने बताया कि इरफान तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके छोटे भाइयों के नाम मकबूल और महबूब हैं। इरफान शादीशुदा था और उसकी तीन बेटियां हैं। वह बाहर रहकर काम करता था, जबकि उसके पिता भी बाहर रहते हैं। परिवार में इस हादसे के बाद मातम छा गया है। परिजनों का आरोप है कि बिजली के पोल में करंट उतरने की वजह से यह हादसा हुआ।

उनका कहना है कि अगर बिजली विभाग ने समय रहते बिजली व्यवस्था की जांच और मरम्मत कराई होती, तो इस हादसे को टाला जा सकता था। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हादसे की असल वजह और बिजली के पोल में करंट आने के कारणों की जांच की जा रही है।

एकीकरण समिति की बैठक 28 को

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । प्रशासक जिला पंचायत की अध्यक्षता में आगामी 28 सितम्बर 2026 को सायं 4 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जिला एकीकरण समिति की बैठक आयोजित की गयी है। उक्त जानकारी मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल ने दी है।

गांधी जयन्ती पर होंगे विविध आयोजन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी ज्ञान चन्द्र गुप्ता तथा मुख्य राजस्व अधिकारी कीर्ति प्रकाश भारती की अध्यक्षता में 2 अक्टूबर गॉधी जयन्ती की तैयारी बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुयी। दोनो अधिकारियो कहा कि ने कहा कि महात्मा गांधी के विचार आज भी समाज के लिए प्रासंगिक हैं। उन्होंने बैठक में उपस्थित लोगों से गांधी जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने तथा स्वच्छता, शांति और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा अपने कार्य एवं आचरण से जनपद की छवि बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि गांधी जयन्ती के दिन जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसमें पूर्ण सहभागिता करें, अपने परिसर को साफ–सुथरा रखें तथा गांधी जी के विचारों एवं सिद्धान्तों को पूरी सत्यनिष्ठा से अपनायें।

उन्होने बताया कि 2 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे से प्रभातफेरी, 7 बजे से वाक रेस प्रतियोगिता तथा 8 बजे सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जायेगा, गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया जायेगा तथा सत्यनिष्ठा का संकल्प लिया जायेगा। प्रातः 9 बजे से शहर के विभिन्न चौराहों पर स्थापित महापुरूषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया जायेगा। मलिन बस्तियों में सफाई कार्यक्रम, जिला कारागार में सांस्कृतिक एवं खेल कूद कार्यक्रम, सभी शिक्षण संस्थाओं में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन, अस्पताल में रोगियों में फल वितरण, कुष्ठ आश्रम हथियागढ़ में फल वितरण किया जायेगा।

बैठक में जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव, जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार, मत्स्य अधिकारी संदीप वर्मा, उपायुक्त उद्योग राजेश रोमन, प्रधानाचार्य आईटीआई गोविन्द कुमार, जीआईसी के विजय कुमार वर्मा, जिला सेवायोजन अधिकारी अवधेन्द्र प्रताप वर्मा, डा. वी.के. वर्मा, सरदार जगवीर सिंह, स्कन्द शुक्ला, अनुराग श्रीवास्तव, चन्द्र प्रकाश शर्मा, पवन वर्मा, के.के. उपाध्याय, सैयद जीशान हैदर रिजवी, हरिओम प्रकाश, वीर कुमार तिवारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा: सीसीटीवी में कैद हुई 105 घटनाएं

नई दिल्ली (आभा)। अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सोमवार (21 सितंबर) को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंदिर के अंदर दान की चोरी की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत को जांच की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर के अंदर चंदा चोरी की 105 घटनाएं सीसीटीवी में कैद हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि एसआईटी की जांच बहुत जल्द पूरी होने वाली है। एसजी के मुताबिक, 25 सितंबर तक इस मामले की चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वे कानून के अनुसार चार्जशीट पर कार्रवाई करें।

सुप्रीम कोर्ट ने कथित चंदा चोरी से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट की समीक्षा भी की। कार्यवाही के दौरान, कोर्ट को इस मामले में अब तक हुई गिरफ्तारियों और दान की चोरी से जुड़े सबूतों के बारे में जानकारी दी गई। इतना ही नहीं सीसीटीवी में कैद हुई 105 चोरी की वारदातों से जुड़े सबूत भी कोर्ट के सामने पेश किए गए। इसके अलावा गवाहों के बयान और अन्य सबूतों से जुड़ी जानकारी भी अदालत में रखी गई।

रिपोर्ट के मुताबिक एसजी ने स्टेटस रिपोर्ट में बताया है कि आरोपियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य सामग्रियों का विश्लेषण कैसे किया गया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दी गई सभी जानकारियों को रिकॉर्ड पर ले लिया है। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि कीमती सामानों की रसीदें सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाई जाती थीं और सामान को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में रखा जाता था। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने एसआईटी रिपोर्ट की एक प्रति मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह मामले को सेशन जज के हाथों से बाहर नहीं ले जाना चाहती है, और कहा कि अगर उसे आगे की जांच जरूरी लगेगी तो आदेश जारी करेगी।

बता दें कि इसी साल मई–जून में राम मंदिर दान की चोरी का मामला सामने आने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के शीर्ष अधिकारियों चंपत राय और अनिल मिश्रा को उनके पदों से हटा दिया गया था।

सत्संग में दिया नशा मुक्ति का संदेश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा बड़ेबन में विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। आयोजन को लेकर लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला।

कार्यक्रम के दौरान एलईडी स्क्रीन के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का प्रसारण किया गया। सत्संग में मानव जीवन के उद्देश्य, सच्ची भक्ति, सदाचार और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में सरल भाषा में मार्गदर्शन दिया गया।

सत्संग के माध्यम से उपस्थित लोगों को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का संदेश दिया गया। नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर 20 लोगों ने नशा त्यागने और भविष्य में नशामुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं ने ध्यानपूर्वक सत्संग सुना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए बैठने सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई थीं।

क्षेत्र के लोगों ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है और लोगों को नशामुक्त एवं बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है।

मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से समय–समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक सुधार और नशामुक्ति के प्रति जागरूक किया जाता है। इस अवसर पर जिला कोऑर्डिनेटर लक्ष्मन दास, सालिकराम, अशोक दास, जितेन्द्र दास, बेचू दास, राधेश्याम दास, सुरेश दास, रामबहाल दास, लालता दास, शिव पूजन दास सहित कई सेवादारों ने योगदान दिया।

इ. अरविन्द पाल ने जरूरतमंद छात्रों में किया शैक्षणिक सामग्री का वितरण

–भारतीय बस्ती संवाददाता

बस्ती। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बनकटी नगर पंचायत अध्यक्ष इ. अरविन्द पाल ने सोमवार को बेलवाडाडी मोहल्ले के 10 जरूरतमंद छात्रों में स्कूल बैग और शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया। कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें जब भी ऐसी कोई सूचना मिलेगी वे यथा संभव सहयोग को प्रस्तुत रहेंगे।

भाजपा नेता इ. अरविन्द पाल ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली कि अविनाश श्रीवास्तव की पत्नी संज्ञा श्रीवास्तव बेलवाडाडी मोहल्ले के जरूरतमंद छात्रों को निःशुल्क पढाती हैं। उन्हें यदि शैक्षणिक सामग्री मिल जाय तो अच्छा हो। इ. अरविन्द पाल ने तत्काल सम्पर्क किया और सोमवार को छात्रों में शैक्षणिक सामग्री भेंट किया। इस दौरान बादशाही अखाड़े के संचालक कैलाशी कुलवेन्द्र सिंह के साथ ही स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

किशोरी लाल जेल विजिटर नामित

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिला मजिस्ट्रेट ने रविदास सेवा संस्थान अध्यक्ष किशोरी लाल को जेल विजिटर नामित किया है। सिंचाई विभाग से प्रशासनिक अधिकारी पद से सेवा निवृत्त किशोरीलाल निरन्तर सामाजिक कार्यो में योगदान दे रहे हैं।

किशोरीलाल ने यह जानकारी देते हुये बताया कि उन्हें जो दायित्व सौंपा गया है, पूरा प्रयास होगा कि दायित्वों का निष्ठा से निर्वहन करते हुये कारागार व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रभावी पहल कराया जाय। कैदियों को समुचित सुविधा मिले इस दिशा में उनका प्रयास होगा।

129 मेधावी छात्र–छात्राओं को मिला पुरस्कार, खिले चेहरे

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । अखिल भारतीय प्रजापति कुम्भकार महासंघ द्वारा जिलाध्यक्ष राम मिलन प्रजापति के संयोजन में बड़े वन के निकट स्थित हरिगंगा मैरेजहाल में प्रतिभावान छात्र–छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि अशोक कुमार प्रजापति, विशिष्ट अतिथि पुरुषोत्तमनाथ प्रजापति, प्रोफेसर राम कोमल प्रजापति, डा. अनिल कुमार प्रजापति, डॉ. इन्द्रजीत प्रजापति, संजय कुमार प्रजापति, डा. अनिल प्रजापति, डा. उमाशंकर प्रजापति आदि ने कहा कि शिक्षा की वह मूल आधार है जिससे प्रजापति समाज की समस्याओं का हल निकलेगा। कहा कि अपने पाल्यों को शिक्षित अवश्य करें जिससे वे देश के सुयोग्य नागरिक बनें। अतिथियों ने विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों से चयनित 129 मेधावी छात्र–छात्राओं को सन्तराम बीए प्रज्ञा सम्मान समारोह में मेडल और प्रमाण–पत्र, स्कूल बैग देकर उनका उत्साहवर्धन किया।

मुख्य वक्ता दिनेश कुमार प्रजापति, अविनाश प्रताप प्रजापति, बलिहारी प्रजापति, जर्नादननाथ प्रजापति, कृष्ण कुमार प्रजापति, राम प्रसाद, राम सागर प्रजापति, सुरेन्द्र कुमार प्रजापति, शिवशंकर प्रजापति, करुणानिधान, डा. अमित प्रजापति, प्रो. अनिल कुमार प्रजापति, विजय कुमार प्रजापति, मीठीलाल प्रजापति, डॉ. शेषनाथ, पंकज प्रजापति, जय प्रकाश प्रजापति आदि ने प्रजापति समाज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मोर्चो पर विस्तार से प्रकाश डाला। कहा कि प्रजापति समाज के सबल लोग यदि जरूरतमंदों की मदद की दिशा में पहल करें तो समाज की नई पीढी को ताकत मिलेगा। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक चन्द्रभान प्रजापति, नरसिंह प्रजापति, मुन्नीलाल प्रजापति, राम औतार प्रजापति आदि ने छात्रों का आवाहन किया कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आयें शिक्षा जारी रखें। संचालन हरिकेश प्रजापति और अध्यक्षता चुन्नीलाल प्रजापति ने किया।

–प्रजापति कुम्भकार महासंघ के सम्मान समारोह में शिक्षा पर जोर

कार्यक्रम मुख्य रूप से महेन्द्रनाथ प्रजापति, अमित प्रकाश प्रजापति, भगवानदीन प्रजापति, राम मूरत प्रजापति, कृष्ण कुमार प्रजापति, रामतेज प्रजापति, राजेश कुमार प्रजापति, वीरेन्द्र प्रताप नारायण, चन्द्रभान प्रजापति, पदुमनाथ, विजय प्रकाश, राजकुमार, अखिलेश, विकास, राममूरत, परशुराम, राजेन्द्र, हनुमान प्रसाद, सन्तोष प्रजापति, धर्मेन्द्र प्रजापति, मृत्युंजय कुमार प्रजापति, दिनेश कुमार, छविलाल प्रजापति, सुरेन्द्र कुमार, आशुतोष प्रजापति, परशुराम प्रजापति, गजेन्द्र कुमार प्रजापति, मधुसूदन प्रजापति, विष्णुदत्त प्रजापति, अभिषेक प्रजापति, मेहीलाल, महिला प्रकोष्ठ से सभासद अमरावती प्रजापति, रेणुका प्रजापति, पूनम, जनक दुलारी, माधुरी, सुभावती, गरिमा, प्रतिष्ठा, सुषमा, प्रियंका, अनीता के साथ ही प्रजापति समाज के अनेक लोग शामिल रहे।

छोटी घटनाओं पर भी नजर रखें डीएम, एसपी

लखनऊ (आभा)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'जनता दर्शन' में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। प्रार्थना पत्रों को देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले लोग मामूली घटनाओं को बड़ा बनाना चाहते हैं। ऐसे में जिलों में हर छोटी से छोटी घटना पर डीएम व एसपी स्वयं नजर रखें। तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों की सुनवाई करें और दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई कर मामलों का पटाक्षेप कराएं। उन्होंने चेतावनी दी कि छोटी–छोटी घटनाओं में भी उदासीनता व लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री 'जनता दर्शन' में कुर्सियों पर बैठे हर पीड़ित से मिले। उनकी समस्याओं व शिकायतों को सुना।

साइबर ठगी के 99,999.20 रुपये पुलिस ने कराए वापस

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दुबौलिया थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति की 99,999.20 रुपये की पूरी धनराशि वापस करा दी। धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित ने पुलिस टीम का आभार जताया। पुलिस के अनुसार, थाना दुबौलिया क्षेत्र के ग्राम नयकापार निवासी मनीष कुमार पुत्र पलटू के साथ साइबर ठगी की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में बताया गया कि उनके साथ कुल 99,999.20 रुपये की साइबर ठगी हुई थी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह के दिशा–निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्याम कांत के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी कलवारी बृजेश सिंह के नेतृत्व में थाना दुबौलिया पुलिस एवं साइबर सेल टीम ने त्वरित विधिक और तकनीकी कार्रवाई शुरू की।

साइबर सेल की टीम ने संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित कर ठगी की धनराशि को समय रहते लीनहोल्ड कराया। इसके बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए कोर्ट के आदेश के माध्यम से 99,999.20 रुपये की पूरी धनराशि पीड़ित के बैंक खाते में वापस करा दी गई। धनराशि वापस मिलने के बाद मनीष कुमार ने थाना दुबौलिया पुलिस और साइबर सेल टीम का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण उनकी ठगी गई रकम वापस मिल सकी। इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष जीवन त्रिपाठी, साइबर सेल प्रभारी अजय कुमार पांडेय, आरक्षी रमेश यादव, महिला कांस्टेबल साधना पांडेय एवं कांस्टेबल मनोज कुमार की भूमिका रही। बस्ती पुलिस ने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम और पीड़ितों की ठगी गई धनराशि वापस कराने के लिए साइबर सेल द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

पात्रों को अधिकार दिलाना प्राथमिकता, विधवा पेंशन शिविर में 85 महिलाओं के आवेदन स्वीकार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। आदर्श नगर पंचायत में निराश्रित विधवा महिलाओं को पेंशन योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से सोमवार को महिला कल्याण विभाग की ओर से निःशुल्क पेंशन सहायता शिविर का आयोजन किया गया। नगर पंचायत कार्यालय स्थित अटल भवन में आयोजित शिविर का उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष नीलम सिंह राना ने किया। शिविर में 85 महिलाओं को चयनित कर उनके आवेदन स्वीकार किए गए।

–नगर पंचायत अध्यक्ष नीलम सिंह राना ने किया शिविर का उद्घाटन

नगर पंचायत अध्यक्ष नीलम सिंह राना ने कहा कि पात्र व्यक्तियों को उनका अधिकार दिलाना उनकी प्राथमिकता है। नगर के वंचित और जरूरतमंद लोगों को सभी पात्र सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निराश्रित महिलाओं को पेंशन योजना से जोड़ना सामाजिक जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जल्द ही समाज कल्याण एवं दिव्यांग कल्याण विभाग की ओर से भी ऐसे सहायता शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

राज्य पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राना दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से पात्र महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ना सराहनीय पहल है। कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, यह हम सभी का नैतिक दायित्व है। उन्होंने जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के आयोजनों को महत्वपूर्ण बताया।

शिविर में महिला कल्याण विभाग के सौरभ चौधरी एवं सरिता श्रीवास्तव ने उपस्थित महिलाओं को निराश्रित विधवा पेंशन योजना से संबंधित आवश्यक जानकारी दी। साथ ही महिलाओं की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण की व्यवस्था की गई। शिविर के माध्यम से पात्र महिलाओं के आवेदन स्वीकार किए जाने से उन्हें पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने की दिशा में सहायता मिली।

इस अवसर पर सभासद विजय जायसवाल, संजय सोनकर, राकेश पाण्डेय, मोनू पाण्डेय, संजय पाण्डेय, शीतल गौड़, श्रुति कुमार अग्रहरि, आलोक सिंह सहित नगर पंचायत के अन्य प्रतिनिधि एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियंता पर करोड़ों के गबन का आरोप, बहुजन मुक्ति पार्टी ने मण्डलायुक्त से किया निलम्बन की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष चन्द्र प्रकाश गौतम ने लघु सिंचाई विभाग के अवर अभियंता परबिन्दर सिंह पर करोड़ों रुपये के सरकारी धन के गबन का आरोप लगाया है। उन्होंने मण्डलायुक्त को पत्र देकर अवर अभियंता का अटैचमेंट निरस्त करने, उन्हें दूसरे जनपद में स्थानान्तरित करने और निलम्बित करने की मांग की है।

मण्डलायुक्त को दिये पत्र में आरोप कहा गया है कि बस्ती में 15 वर्ष से अधिक समय से तैनात अवर अभियंता परबिन्दर सिंह ने विभाग में करोड़ों रुपये का गबन किया। किसानों और जनप्रतिनिधियों के हवाले से कहा गया है कि बिना बोरिंग कराए ही सामान्य वर्ग के किसानों के नाम पर 15,600 रुपये और अनुसूचित वर्ग के किसानों के नाम पर 19,600 रुपये प्रति किसान निकाल लिए गए। आरोप है कि किसानों को केवल लोकल पाइप, प्लास्टिक और रिफ्लशवॉल जैसा सामान देकर पूरा भुगतान करा लिया गया। हजारों किसानों को बोरिंग से जुड़ा कोई सामान नहीं मिला। कुछ किसानों की पुरानी बोरिंग दिखाकर भी भुगतान कराया गया।

पत्र के अनुसार अवर अभियंता परबिन्दर सिंह का स्थानान्तरण बस्ती से सिद्धार्थनगर (आकांक्षी जनपद) किया था। इसके बावजूद वे बस्ती में अटैचमेंट पर बने हुए हैं। बीएमपी नेता चन्द्र प्रकाश गौतम का आरोप है कि करीब दो वर्ष पहले भी बार–बार स्थानान्तरण हुए, लेकिन अवर अभियंता ने रसूख और धनबल से साजिश कर, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट लगाकर अधिकारियों को गुमराह किया और स्थानान्तरण रुकवा लिया। पत्र में कुदरहा, दुबौलिया और गौर आदि ब्लाकों में करोड़ों रुपये की सरकारी गबन का आरोप है। यह भी कहा गया है कि जांच करने वाले अधिकारियों से रसूख के दम पर समझौता कर लिया जाता है।

चंद्र प्रकाश गौतम ने मांग किया है कि अवर अभियंता परबिन्दर सिंह का अटैचमेंट निरस्त कर उन्हें किसी अन्य जनपद में भेजा जाए, पिछले कई वर्षों के लेखा–जोखा की जांच कराई जाए और गबन उजागर कर कार्रवाई की जाए।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 22 सितम्बर 2026 मंगलवार

सम्पादकीय

इलाज के नाम पर ठगी

किसी अस्पताल में उपचाराधीन कोई मरीज जब किसी रोग से लड़ रहा होता है तो वह इस स्थिति में नहीं होता कि उपचार में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों व दवा आदि के तार्किक मूल्यों की पड़ताल कर सके। वह यह पूछने की स्थिति में भी नहीं होता कि किसी दवा, सिरिंज या कैथेटर आदि की कीमत जायज है या नाजायज। वैसे भी अस्पताल संचालकों द्वारा संचालित किए जा रहे मेडिकल स्टोरों में वह कीमत को लेकर अपना पक्ष रखने की हालत में नहीं होता। यह विडंबना ही है कि दवा कंपनियां बिचौलियों व मेडिकल स्टोर के मालिकों को लुभाने के लिए दवा की वास्तविक लागत कीमत व कथित एमआरपी में बड़ा फर्क रखती हैं, जिसके चलते दवा विक्रेता मरीजों के तीमारदारों से मनमानी कीमतें वसूल कर मुनाफा कूटते हैं। जिसकी पुष्टि महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अस्पतालों में उपयोग किए जाने वाले सामान की कीमतों की राज्यव्यापी पड़ताल के निष्कर्ष करते हैं। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन महाराष्ट्र के तेजतर्रार कमिश्नर तुकाराम मुंढे की पहल पर किए गये राज्यव्यापी सर्वेक्षण में पाया गया कि एक अस्पताल द्वारा खरीदे गए एक आईवी एन्फ्यूजन सेट की कीमत मात्र 11 रुपये थी और उस पर एमआरपी 325 दर्ज थी, जो वास्तविक कीमत से हजारों फीसदी अधिक थी। एक सिरिंज जिसकी खरीद कीमत 6.7 रुपये थी, उसकी एमआरपी 57 रुपये थी। जबकि 29 रुपये में खरीदा गया कैथेटर 310 रुपये एमआरपी वाला था। निस्संदेह, सप्लाई चेन में भी कुछ खर्च होते हैं, लेकिन अस्पताल व उनके मेडिकल स्टोर इन दवाइयों पर अंधा मुनाफा कमा रहे हैं। यह दुखद ही है कि जहां पहले ही मरीज रोग से पीड़ित होता है, वहां दवाइयों की कीमतों को लेकर पारदर्शिता का अभाव उसके दर्द को बढ़ाने वाला ही होता है। यह उम्मीद जगाने वाली पहल है कि कमिश्नर मुंढे ने एफडीए की पड़ताल के निष्कर्ष और सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है कि मेडिकल उपकरणों की कीमतों की पड़ताल और मुनाफे की सीमा निर्धारण पर गंभीरता से विचार किया जाए। साथ ही इस बाबत सशक्त निगरानी तंत्र विकसित किया जाए।

इस तरह अब यह महत्वपूर्ण मामला राष्ट्रीय नियामक संस्थाओं के पास है, जिसमें एनपीपीए और फॉर्मास्यूटिकल विभाग आदि शामिल हैं। यह सुखद है कि मामला एक ईमानदार अधिकारी की सख्त पहल के बाद उजागर हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मरीजों को उलटे उस्तरे से मूंडने का यह खेल दशकों से बदस्तूर जारी है। जिन सरकारों व संबंधित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी इसकी निगरानी की थी, वे निहित स्वार्थों के चलते मूकदर्शक बने रहे हैं। महाराष्ट्र में एफडीए के कमिश्नर का पदभार संभालने के बाद मुंढे ने पूरे राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट व सेहत के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थों के खिलाफ एक जोरदार अभियान चला रखा है। इतना ही नहीं, इस सार्थक पहल के बाद एफडीए ने बड़ी मात्रा में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाली असुरक्षित खाद्य सामग्री भी जब्त की है। साथ ही खाद्य सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वाले कई नामी प्रतिष्ठानों व तथाकथित दिग्गजों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। विडंबना यह है कि खाद्य पदार्थों और चिकित्सा उपयोग में आने वाली वस्तुओं की कीमत व गुणवत्ता की जांच–पड़ताल और इनसे खुद को सुरक्षित रखने की सटीक जानकारी उपभोक्ता के पास नहीं होती है। फिर स्थानीय प्रशासन के लोग सिर्फ खाना–पूर्ति के लिए कभी–कभार छापेमारी करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। यह शासन–प्रशासन का सामान्य दायित्व है कि अस्पताल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें न्यायसंगत व पारदर्शी हों। निस्संदेह उपभोक्ता को वस्तुओं की वास्तविक कीमत की जानकारी दी जानी चाहिए। जहां जरूरी हो, वहां उचित मार्जिन ही लिया जाना चाहिए। निस्संदेह, केंद्र सरकार को मुंढे की रिपोर्ट पर समय रहते उचित कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अस्पतालों में मरीजों के उपचार में काम में आने वाले सामान की स्पष्ट बिलिंग हो। ताकि नाजायज ढंग से मुनाफा कमाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ऐसा करना केंद्र व राज्य सरकारों का नैतिक दायित्व भी है।

आतंकवाद के खतरे

आतंकियों को पाल–पोस कर उन्हें पड़ोसी देशों के खिलाफ औजार की तरह इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान के लिए भी अब यह हथियार सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आतंकी हिंसा ने उसकी आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता के लिए चुनौती पैदा कर दी है। इसी क्रम में बीते शुक्रवार को पाकिस्तान के कोहाट जिले में जुमे की नमाज के दौरान आतंकियों ने पहले एक मस्जिद के पास विस्फोटक से लदे वाहन में धमाका किया और फिर पास के पुलिस ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कम से कम इक्कीस लोगों की मौत हो गई और सौ से अधिक घायल हो गए। मृतकों में ज्यादातर पुलिसकर्मी थे।

सवाल है कि आतंकी संगठनों को खड़ा करने और वित्तपोषण के जरिए उनकी जड़ों को मजबूत करने में जुटे पाकिस्तान को क्या इसका जरा भी आभास नहीं था कि एक दिन यही आतंकवाद पलट कर उसे भी निशाना बना सकता है? वहां के सत्ताधारियों ने राजनीतिक लाभ के लिए जिन छद्म नीतियों का सहारा लिया, उसका खमियाजा अब अवाम को भी भुगतना पड़ रहा है।

इस बात पर गौर करना भी जरूरी है कि पाकिस्तान में आतंकी हिंसा की यह स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई है। उसकी नीतियों में आतंकी संगठनों के बीच भेद करने की प्रवृत्ति वर्षों से दिखाई देती रही है। ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि जिन आतंकी संगठनों को पाकिस्तान ने भारत या अफगानिस्तान के खिलाफ खड़ा किया, उन्हें आतंकवाद की परिभाषा से बाहर रखा गया, जबकि जिन्होंने सत्ता की नीतियों के तय ढांचे के विपरीत नए आतंकी संगठन बना लिए, उन्हें देश की सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया गया।

खबरों के मुताबिक, कोहाट में मस्जिद के पास हमले की जिम्मेदारी जिस आतंकी संगठन ने ली है, उसका गठन पिछले साल अप्रैल में ही हुआ था। इससे स्पष्ट है कि वहां नए–नए आतंकी समूहों के पनपने का सिलसिला लगातार जारी है। पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताता रहा है, लेकिन उसे यह सच भी स्वीकार करना होगा कि जब तक वह अपनी सहूलियत के हिसाब से आतंकवाद को 'अच्छा' और 'बुरा' मानता रहेगा, तब तक इस संकट का समाधान संभव नहीं है।

भारतीय व्यापारियों पर 100 प्रतिशत टैरिफ का खतरा

—सौरभ वाष्णेय—

अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में टैरिफ केवल आयात–निर्यात पर लगाया जाने वाला कर नहीं होता बल्कि कई बार यह आर्थिक और कूटनीतिक दबाव का हथियार भी बन जाता है। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ समय से चल रहे व्यापारिक घटनाक्रम ने भारतीय व्यापारियों, निर्यातकों और विशेष रूप से छोटे एवं मध्यम उद्यमों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। कभी 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ, फिर कुल अतिरिक्त बोझ के 50 प्रतिशत तक पहुंचने और अब रूस से तेल खरीद को लेकर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की संभावित अमेरिकी कार्रवाई ने भारतीय कारोबारी जगत की चिंता बढ़ा दी है हालांकि वर्तमान स्थिति को समझने में यह अंतर बेहद महत्वपूर्ण है कि 100 प्रतिशत टैरिफ फिलहाल लागू नहीं हुआ है। अमेरिकी कांग्रेस में रूस से ऊर्जा खरीद से जुड़े प्रतिबंधों के तहत ऐसा अधिकार देने वाला विधायी प्रस्ताव आगे बढ़ा है। यदि यह कानून बनता है और राष्ट्रपति इसका इस्तेमाल करते हैं, तभी इसका वास्तविक प्रभाव सामने आएगा। फिर भी इस खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। व्यापार में अनिश्चितता स्वयं एक बड़ी लागत होती है। किसी व्यापारी को यह पता न हो कि अगले महीने उसके माल पर कितना शुल्क लगेगा तो वह कीमत, उत्पादन, स्टॉक, निवेश और विदेशी खरीदारों के साथ अनुबंधकृहर स्तर पर सावधानी बरतने को मजबूर हो जाता है।

भारत–अमेरिका व्यापार संबंधों में टैरिफ का मुद्दा नया नहीं है। वर्ष 2025 में अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के बाद भारतीय निर्यातकों की चिंता बढ़ी थी। इसके बाद रूस से भारतीय तेल खरीद से जुड़ा 25 प्रतिशत अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क भी लगाया गया जिसके कारण कई भारतीय उत्पादों पर कुल अतिरिक्त टैरिफ का बोझ 50 प्रतिशत तक पहुंच गया था। उस समय कपड़ा, परिधान, इंजीनियरिंग उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा, समुद्री उत्पाद तथा कई श्रम–प्रधान उद्योगों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बढने की आशंका जताई गई थी। अमेरिका भारतीय उत्पादों का एक महत्वपूर्ण बाजार है। इसलिए वहां शुल्क बढने का अर्थ केवल अमेरिकी बाजार में महंगाई बढना नहीं है बल्कि भारतीय निर्यातक के सामने यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या उसका उत्पाद वियतनाम, बांग्लादेश, चीन, इंडोनेशिया या अन्य देशों के उत्पादों की तुलना में प्रतिस्पर्धी रह पाएगा। भारत सरकार के अनुसार 2025 में प्रस्तावित 25 प्रतिशत अमेरिकी पारस्परिक शुल्क से भारत के लगभग 55 प्रतिशत माल निर्यात प्रभावित होने का अनुमान था।

यह आंकड़ा बताता है कि समस्या केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है। भारत के लाखों छोटे और मध्यम कारोबारी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े हैं। एक बड़ी निर्यात कंपनी पर पडने वाला दबाव अंततरू उसके छोटे सप्लायर, पैकेजिंग इकाई, परिवहन व्यवसाय, श्रमिक और स्थानीय बाजार तक पहुंच सकता है। अब परिस्थितियां एक नए मोड़ पर दिखाई दे रही हैं। अमेरिका में रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त दबाव डालने के उद्देश्य से प्रस्तावित कानून में 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की संभावना सामने आई है। भारत का नाम भी इस संदर्भ में चर्चा में आया है। अमेरिकी विधायी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए इसे लागू शुल्क मानना उचित नहीं होगा। लेकिन व्यापारियों के लिए केवल संभावित शुल्क भी गंभीर चिंता पैदा करता है।

यदि किसी भारतीय वस्तु पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगता है, तो अमेरिकी बाजार में उसकी कीमत बहुत बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए यदि कोई भारतीय उत्पाद अमेरिकी आयातक को 100 डॉलर में मिलता है और उस पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लागू होता है, तो केवल उस अतिरिक्त शुल्क के कारण लागत 200 डॉलर के स्तर तक पहुंच सकती है हालांकि वास्तविक अंतिम कीमत उत्पाद–विशिष्ट मौजूदा शुल्क, शुल्क की संरचना, कर और आपूर्ति व्यवस्था पर निर्भर करेगी।

ऐसी स्थिति में अमेरिकी खरीदार वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर सकते हैं। इसका सीधा असर भारतीय निर्यात ऑर्डरों पर पड़ सकता है। टैरिफ युद्ध की सबसे बड़ी मार अक्सर उस छोटे व्यापारी पर पड़ती है जिसके पास बड़े उद्योगों जैसी वित्तीय क्षमता नहीं होती। बड़ी कंपनियां बाजार बदल सकती हैं, उत्पादन दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकती हैं और कुछ समय तक नुकसान सह सकती हैं लेकिन छोटे निर्यातक के लिए एक बड़ा ऑर्डर रद्द होना, भुगतान में देरी होना या विदेशी खरीदार का दूसरे देश की ओर चले जाना गंभीर संकट पैदा कर सकता है। भारत का निर्यात क्षेत्र बड़ी संख्या में छोटी इकाइयों पर निर्भर है। कपड़ा, हस्तशिल्प, चमड़ा, इंजीनियरिंग सामान, मशीनरी के पुर्जे, कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद और विभिन्न प्रकार के तैयार माल में छोटी इकाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका है।इसलिए टैरिफ का सवाल केवल 'अमेरिका को कितना निर्यात होगा' का सवाल नहीं है। यह रोजगार, उत्पादन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कारीगरों और छोटे उद्योगों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है।

इस संकट का एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि किसी एक बड़े बाजार पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम पैदा करती है। अमेरिका भारतीय निर्यात के लिए महत्वपूर्ण बाजार है, लेकिन भारत को यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, दक्षिण–पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका और अन्य उभरते बाजारों में अपनी मौजूदगी और मजबूत करनी होगी। भारतीय निर्यातकों ने पहले से ही कुछ हद तक बाजारों में विविधता लाने की कोशिश की है। हाल के महीनों में भारत के निर्यात में कुछ अन्य बाजारों की ओर भी मजबूती दिखाई दी है। अगस्त 2026 में भारत का माल निर्यात 43.81 अरब डॉलर रहा और अमेरिका को निर्यात भी बढ़ा, हालांकि कुछ श्रम–प्रधान क्षेत्रों में कमजोरी बनी रही। इससे स्पष्ट है कि भारतीय उद्योग के सामने चुनौती है, लेकिन अवसर भी मौजूद हैं।

भारत–अमेरिका व्यापार वार्ता इस समय सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक–आर्थिक मुद्दों में से एक है। सरकार को बातचीत के रास्ते को प्राथमिकता देते हुए भारतीय उद्योग के हितों की रक्षा करनी होगी।साथ ही केवल किसी एक देश के साथ समझौते पर निर्भर रहने के बजाय निर्यात प्रतिस्पर्धा की बुनियादी समस्याओं पर काम करना होगा। लॉजिस्टिक्स की लागत, बंदरगाहों की दक्षता, बिजली की कीमत, वित्त की उपलब्धता, गुणवत्ता मानक, अनुसंधान एवं विकास और उत्पादन की गति इन सभी क्षेत्रों में सुधार भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में मजबूत बना सकता है।

निर्यातकों के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन और कर–शुल्क वापसी की व्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में सरकार द्वारा क्रशष्ठञ्जशक्क जैसी निर्यात प्रोत्साहन व्यवस्था को आगे जारी रखने की संभावना पर भी चर्चा हुई है। लेकिन दीर्घकालिक समाधान केवल प्रोत्साहन देना नहीं है। भारतीय उद्योग को ऐसी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित करनी होगी कि वह टैरिफ के दबाव के बावजूद वैश्विक खरीदारों के लिए आकर्षक बना रहे।आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापार और विदेश नीति एक–दूसरे से अलग नहीं रह गए हैं। रूस से तेल खरीद का प्रश्न इसका स्पष्ट उदाहरण है। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण आर्थिक आवश्यकता है, जबकि अमेरिका रूस की ऊर्जा आय से जुड़ी अपनी रणनीतिक चिंताओं को आगे बढ़ा रहा है।भारत को एक ओर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं और रणनीतिक स्वायत्तता का ध्यान रखना है, तो दूसरी ओर अमेरिका जैसे बड़े व्यापारिक साझेदार के साथ आर्थिक संबंधों को भी स्थिर रखना है। ऐसे में कूटनीति का महत्व और बढ़ जाता है।

सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है लेकिन व्यापार जगत को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। निर्यातकों को केवल कीमत के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने के बजाय गुणवत्ता, डिजाइन, तकनीक, विश्वसनीय आपूर्ति और ब्रांडिंग पर अधिक जोर देना होगा।जिस भारतीय कंपनी के पास बेहतर गुणवत्ता और मजबूत ब्रांड होगा, उसके लिए किसी भी एक बाजार में शुल्क बढने के बाद नए बाजार तलाशना अपेक्षाकृत आसान होगा।व्यापारियों को विदेशी मुद्रा जोखिम, बीमा, भुगतान सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला में भी सावधानी बढ़ानी होगी। लंबी अवधि के अनुबंधों में टैरिफ परिवर्तन की स्थिति में लागत साझा करने जैसी शर्तों पर भी विचार किया जा सकता है।100 प्रतिशत टैरिफ की संभावित चर्चा भारतीय व्यापार जगत के लिए केवल तत्काल आर्थिक खतरे का संकेत नहीं है बल्कि यह वैश्विक व्यापार व्यवस्था में बढ़ती अनिश्चितता का संकेत भी है।यदि व्यापारिक शुल्क बार–बार बदलते हैं और राजनीतिक या रणनीतिक मुद्दों से जुड़े रहते हैं, तो दुनिया के व्यापारियों के लिए दीर्घकालिक निवेश निर्णय कठिन हो जाते हैं। इससे अंततरू वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं भी प्रभावित होती हैं।भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि वह ऐसी परिस्थितियों में अपने निर्यात आधार को व्यापक बनाए और घरेलू उत्पादन क्षमता को मजबूत करे। आज आवश्यकता किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया की नहीं, बल्कि ठोस आर्थिक रणनीति की है। भारत को अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही वैकल्पिक बाजारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना चाहिए।सरकार को प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करके लक्षित सहायता देनी होगी। रूस्रूश्व निर्यातकों के लिए सस्ता वित्त, बाजार सूचना, तकनीकी उन्नयन और नए बाजारों तक पहुंच की व्यवस्था मजबूत करनी होगी।व्यापारिक संगठनों को भी सरकार के साथ मिलकर क्षेत्रवार रणनीति बनानी होगी। हर क्षेत्र पर टैरिफ का प्रभाव समान नहीं होता। इसलिए कपड़ा, इंजीनियरिंग, कृषि, फार्मा, रत्न–आभूषण और अन्य क्षेत्रों के लिए अलग–अलग रणनीति आवश्यक होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति केवल कम लागत वाले उत्पादक के रूप में नहीं, बल्कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण और दीर्घकालिक आपूर्तिकर्ता के रूप में मजबूत करनी होगी।

25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत और अब 100 प्रतिशत तक टैरिफ की संभावित चर्चा ने भारतीय व्यापारियों के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया हैकृ क्या हमारा निर्यात ढांचा बदलती वैश्विक व्यापार राजनीति के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है?इसका उत्तर केवल अमेरिका के अगले निर्णय में नहीं छिपा है। इसका उत्तर भारत की अपनी आर्थिक तैयारी में है।100 प्रतिशत टैरिफ अभी वास्तविकता नहीं है, लेकिन 100 प्रतिशत के खतरे ने यह जरूर दिखा दिया है कि वैश्विक व्यापार अब केवल मांग और आपूर्ति का खेल नहीं रह गया है। इसमें कूटनीति, ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय हित और भू–राजनीति की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में भारतीय व्यापारियों के लिए संदेश स्पष्ट हैकृ एक बाजार पर निर्भरता कम करें, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाएं, नए बाजार तलाशें और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए स्वयं को तैयार करें। और सरकार के लिए भी यही समय है कि वह संकट को केवल तत्काल टैरिफ वार्ता के रूप में न देखे, बल्कि इसे भारत के निर्यात ढांचे को अधिक मजबूत, विविध और आत्मनिर्भर बनाने के अवसर के रूप में देखे क्योंकि टैरिफ आज 25 प्रतिशत हो सकता है, कल 50 प्रतिशत और किसी अन्य परिस्थिति में 100 प्रतिशत की चर्चा भी सामने आ सकती है लेकिन यदि भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धी, विविधीकृत और मजबूत है, तो किसी एक बाजार की नीति में बदलाव पूरे भारतीय व्यापार की दिशा तय नहीं कर पाएगा। यही समय है कि भारत अपने व्यापार को केवल टैरिफ से बचाने की रणनीति न बनाए, बल्कि ऐसी आर्थिक ताकत विकसित करे कि वैश्विक बाजार भारतीय उत्पादों के बिना स्वयं को अधूरा महसूस करे।

एक अधिकारी तुकाराम जैसा

—विनीत नारायण—

महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषध प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंढे इन दिनों एक बार फिर उन अधिकारियों की पंक्ति में खड़े दिखते हैं, जिनकी उपस्थिति व्यवस्था को असहज कर देती है। होटल–रेस्तरां की रसोइयों से शुरू हुआ उनका अभियान अब अस्पतालों के बिलों तक पहुंच गया है। सवाल केवल एक अधिकारी के तेवर का नहीं है। सवाल यह है कि जनता के स्वास्थ्य और जेब के बीच खड़ी लूट को रोकने वाले अधिकारी भारत में इतने दुर्लभ क्यों हैं? और जब वे दिखते हैं तो उनकी पदावधि इतनी छोटी क्यों रह जाती है?

मुंढे मई 2026 में एफ.डी.ए. आयुक्त बने। कुछ ही महीनों में विभाग ने हजारों निरीक्षण किए, सैंकड़ों लाइसैंस निलंबित किए, करोड़ों रुपए का मिलावटी या असुरक्षित माल जब्त किया और गुटखा–पान मसाला के अवैध कारोबार पर कठोर कार्रवाई की। बड़े ब्रांड, पुराने होटल, क्विक–कॉमर्स गोदाम, यहां तक कि मुंबई हाईकोर्ट की कैंटीन भी इस दायरे से बाहर नहीं रहे। संदेश साफ था, नियम छोटे–बड़े के भेद से नहीं चलेंगे। अब वही सख्ती निजी अस्पतालों के उपभोग्य सामान पर दिख रही है। एक सर्वे में सामने आया कि अस्पताल ने आई.वी. इन्फ्यूजन सैट 11.05 रुपए में खरीदा, पर मरीज के बिल में उसकी कीमत 325 रुपए लिखी गई। यह बहुत बड़ा अंतर है। सिरिंज 6.75 रुपए में खरीदी गई, बिल में 57.20 रुपए, कैथेटर 29.41 रुपए में लिया गया, मरीज से 310 रुपए वसूले गए। मुंढे ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण और केंद्रीय औषध विभाग को पत्र लिखकर ट्रेड मार्जिन पर लगाम

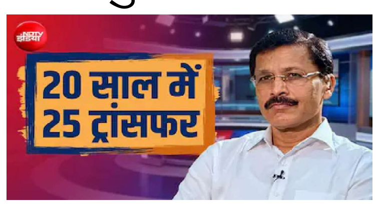

लगाने की मांग की है।

यह महज मूल्य का खेल नहीं है। अस्पताल के बिल का सबसे मोटा हिस्सा अक्सर वह होता है, जिसका उपचार से सीधा संबंध कम और खरीद–बिक्री की शृंखला से ज्यादा होता है। उल्लेखनीय है कि जब मरीज सरकारी योजना या निजी बीमा के दायरे में होता है, तो यह लूट और निर्लज्ज हो जाती है। खपत की वस्तुएं मनमाने माध्जन पर चढ़ जाती हैं, कमरे–जांच–उपकरण के पैकेज फुला दिए जाते हैं और बीमा का पैसा अंततरू समाज के उसी वर्ग से वसूला जाता है, जो प्रीमियम चुकाता है। ऐसे में यदि कोई अधिकारी बिना चेतावनी निरीक्षण करता है, लाइसैंस निलंबित करता है और आंकड़े सार्वजनिक करता है, तो वह केवल विभाग नहीं चला रहा होता, वह बाजार की नैतिक सीमा खींच रहा होता है। गौरतलब है कि 'तुकाराम मुंढे प्रभाव' तेजी से फैल रहा है। रसोइयां साफ होने लगीं, मेन्यू पर एनालॉग पनीर लिखा जाने लगा और अस्पताल अब कम–से–कम कीमतों की चर्चा से बच नहीं सकते। यह डर सुधार का पहला कदम है। स्थायी सुधार तभी आएगा जब एक व्यक्ति का अभियान संस्था की आदत बनेगी।

सवाल उठता है कि ऐसे अधिकारी बार–बार तबादले का शिकार क्यों होते हैं? मुंढे 2005 बैच के महाराष्ट्र काडर के आई.ए.एस. हैं। करीब 21 वर्ष की सेवा में उनके 25 के आसपास तबादले हुए हैं। सोलापुर में रेत माफिया, नवी मुंबई में अनावश्यक परियोजनाओं का विरोध, पुणे परिवहन में अनुपस्थित ड्राइवरों की छंटनी, स्वास्थ्य आयुक्त रहते सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक, हर जगह उन्होंने स्वार्थी हितों से टकराव चुना। ईमानदार अधिकारी को बार–बार हटाकर व्यवस्था यह संकेत देती है कि स्थिरता सुविधा के पक्ष में है, असुविधा के नहीं। जनसमर्थन सोशल मीडिया पर दिखता है, पर फाइलें सचिवालय में चलती हैं। जब तक तबादले की शक्ति बिना पारदर्शी कारण के बनी रहेगी, मुंढे जैसे अधिकारी अपवाद रहेंगे, आदर्श नहीं।

ऐसे में आलोचना भी जरूरी है। व्यवसाय जगत कहता है कि बिना सुधार का समय दिए लाइसैंस काटना अति है। अदालत ने कभी कहा कि मच्छर मारने के लिए तलवार न चलाई जाए। विभाग के कुछ कर्मचारियों ने कार्यभार की शिकायत की। ये बातें अनसुनी नहीं की जानी चाहिएं। प्रवर्तन कठोर हो, पर पूर्वानुमान योग्य और समान भी हो। छोटे ढाबे और बड़े अस्पताल दोनों पर एक ही पैमाना लगे।

भारतवंशी चीतों की बढ़ती संख्या

—प्रमोद भार्गव—

दुर्लभ चीता परियोजना की सफलता अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास की देन है। मोदी देश ही नहीं दुनिया के ऐसे विरल सोच वाले नेता हैं, जो एक साथ अनेक विषयों पर सोचने के साथ क्रियान्वयन तो करते ही हैं, प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण भी उनके सोच के दायरे में। देश में चीता पुनर्वास परियोजना उनकी इसी दृष्टि का एक सफल कीर्तिमान है। मध्यप्रदेश जिले के श्योपुर जिले में स्थित कूनो अभयारण्य की धरती पर अफ्रीका से लाए चीतों का पालन–पोषण चार साल पहले आरंभ हुआ था, जो अब एक बड़े भारतवंशी चीतों के कुल में बदल गया है। अफ्रीका से लाए चीतों के जीवित रहने की दर अनुमान से ज्यादा बेहतर रही। इसी का परिणाम है कि भारत में जन्म लेने वाले चीता शावकों का वंश लगातार बढ़ रहा है। कूनो में जन्मी मादा चीताएं अनेक बार मां बन चुकी हैं। इनसे जन्मे 19 शावक पूरी तरह स्वस्थ रहते हुए जंगली बाड़े में नटखट अठखेलियां करते हुए देखे जा सकते हैं। मानवीय निगरानी के बीच इनकी वृद्धि शत–प्रतिशत आंकी गई है। मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर 2022 को कूनो में नामीबियाई चीतों को छोड़ने के साथ इनके पुनर्वास की पहल हुई थी। वर्तमान में यहां चार मादाओं के 19 शावक उछलकूद मचाए हुए हैं।

भारत की धरती पर अब तक 49 चीतों का जन्म हो चुका है, जिनमें से 32 जीवित हैं। यानी कूनो में चीतों के जीवित रहने की दर 65.3 प्रतिशत है, जबकि इनके मूल निवास स्थल अफ्रीकी जंगलों में प्राकृतिक रूप से महज 5 से 10 प्रतिशत शावक ही वयस्क होने का सुख भोग पाते हैं। यहां ऐसा इसलिए संभव हो

पाया, क्योंकि वनकर्मी अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से कर रहे हैं। दरअसल कूनो का प्रबंधन बाहरी हस्तक्षेप से लगभग मुक्त है। इसीलिए यह वन प्रांत अफ्रीकी देशों से लाए गए चीतों के वंश के महाद्वीप में बदलता जा रहा है। यहां के वातावरण से अफ्रीका के वातावरण को भिन्न एवं प्रतिकूल माना जा रहा था, किंतु अब चीतों की संख्या में वृद्धि ने जता दिया है कि कूनो के जंगल का परिवेश इन चीतों के रहवास हेतु अनुकूलन का रच रहा है। यह प्रकृति की ही देन हैं। प्रदेश के जंगलों में बाघ, तेंदुए और स्याहगोश तो पूर्व से ही हैं, अब बिल्ली प्रजाति का चीता भी यहां के अभयारण्यों में देखा जाने लगा है। प्रदेश के ही गांधी सागर अभयारण्य में भी चीते छोड़े गए हैं, लेकिन यहां इनकी फिलहाल वंशवृद्धि शुरू नहीं हुई है। हालांकि चीता शावकों के जन्म को लेकर यह विडंबना देखने में आ रही है कि जो चीते बाड़े में जन्म लेते हैं, उनके जीवित रहने की दर तो उत्तम है, किंतु खुले जंगल में जन्मे ज्यादातर चीते जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। कूनो में जन्मी मादा केजीपी–12 ने 11 अप्रैल 2026 को खुले जंगल में चार शावकों को जन्म देकर इतिहास रचा था। यह भारत में जन्मी किसी मादा द्वारा वन में प्राकृतिक प्रसव का पहला मामला था, लेकिन एक महीने के भीतर 12 मई को चारों शावक मृत पाए गए। इसके बाद छह जून को इनकी मां का भी निधन हो गया। ये मौतें कैसे हुईं, यह रहस्य ही बना हुआ है।

नामीबिया से लाए गए आठ चीतों को मध्यप्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में प्रधानमंत्री ने छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और लाकर छोड़े गए थे। नई धरती और जलवायु परिवर्तन के चलते इन चीतों को आरंभ में यहां के मौसम से तालमेल बिठाने में दिक्कतें आईं। नतीजतन छह वयस्क और यहीं पैदा हुए चार शावकों में से तीन की मौतें भी हुई थीं, इस कारण परियोजना पर सवाल भी खड़े किए गए थे। दक्षिण अफ्रीका से लाकर बसाए गए 12 चीतों को 18 फरवरी 2024 को दो साल पूरे हो हुए थे, इस अवधि में इन चीतों की मृत्यु दर में कमी ने परियोजना की सफलता के प्रथम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। इनकी जीवित रहने की दर शुरुआत में नामीबिया से लाए चीतों से बेहतर रही थी। दक्षिण अफ्रीका से आए 12 चीतों में से 33.3 प्रतिशत की मौत हुई,जबकि नामीबिया से लाए गए चीतों में से 37.5 प्रतिशत चीतों की मौत हुई। अफ्रीका से लाई गई तीन मादा चीताओं ने अब तक 12 शावकों को जन्म दिया, जो भारतीय परिवेश में पलते एवं बढ़ते चले गए।

सीओ जियाउल हक हत्याकांडः बार–बार कोर्ट में घसीट रही बहू, बेटे की शहादत के बाद ससुराल से टूट गया था उसका नाता

संवाददाता–देवरिया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में साल 2013 में मारे गए सीओ जियाउल हक के माता–पिता का दर्द छलका है। उनका कहना है कि बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनने के जगह बहू डॉ. परवीन आजाद ने बेटे की शहादत के बाद से ही ससुराल से नाता तोड़ते हुए चल–अचल संपत्ति में हिस्सा के लिए केस कर दिया था। 2019 में सिविल कोर्ट से केस खारिज होने के बाद उसने तत्काल जिला जज के यहां केस दाखिल कर दिया। जब लखनऊ पहुंच बहू से ऐसा करने से मना किया गया तो बोली तैयार रहिए सुप्रीम कोर्ट तक घसीटूंगी।

जियाउल हक के पिता शमशुल हक और माता हाजरा खातून वृद्ध होने के साथ–साथ पैर में दिक्कत होने से चलने–फिरने में समर्थ है। दोनों बीमार भी चल रहे है। दोनों की दवा देवरिया से चलती है। माता–पिता की देखभाल दूसरे नंबर के बेटे शोहराब और उसकी बीबी जैनब खातून उर्फ चांदनी करती है। शोहराब की तैनाती इन दिनों गोरखपुर एडीजी ऑफिस में है। वह बीच–बीच में एकाध सप्ताह में घर आता रहता है। पिता शमशुल हक का कहना कि बहू परवीन आजाद बेटे की शहादत के बाद चालीसा में आई और बोलेरो गाड़ी को लेकर चली गई। तबसे वह जुआफर गांव में नहीं आई है। इतना जरूर है कि वह बार–बार तारीख पर कोर्ट में बुलाती रहती है। केवल सितंबर में ही 3, 8, 15 को तारीख थी। फिर से अगली तारीख 28 सितंबर को पड़ी है।

जबकि बेटे के शहादत के 16वें दिन ही 18 मार्च 2013 को उसकी लखनऊ में ओएसडी के पद पर तैनाती कर दी गई थी। उससे बार–बार आग्रह करने के बाद भी वह रहम नहीं करती है। दूसरे नंबर का बेटा और बहू सहारा नहीं होते तो हम लोग कबके मर गए होते। सीओ जियाउल हक हत्याकांड में सीबीआई के विशेष कोर्ट लखनऊ ने शनिवार को जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया समेत पांच लोगों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने इनके खिलाफ चल रही कार्यवाही रद्द कर दी है। दिवंगत सीओ की पत्नी ने इस प्रकरण में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट का विरोध किया था। साथ ही इस मामले में सभी आरोपियों की भूमिका की दोबारा जांच की मांग की थी।

विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा सिंह के कोर्ट ने पर्याप्त कारण न होने का हवाला देते हुए राजा भैया, उनके मीडिया प्रभारी हरिओम श्रीवास्तव, सपा नेता गुलशन यादव, गुड्डू सिंह व रोहित सिंह पर आगे की कार्यवाही समाप्त कर दी। दिवंगत सीओ की पत्नी परवीन आजाद कोर्ट में कोई लिखित और मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकीं जिससे आरोपियों पर दोष सिद्ध हो सके। प्रतापगढ़ के हथिगवां थाना क्षेत्र के बलीपुर में दो मार्च 2013 को ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद तत्कालीन सीओ जियाउल हक मौके पर पहुंचे थे। यहां सीओ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में लखनऊ के विशेष सीबीआई कोर्ट ने नौ अक्तूबर 2024 को दस आरोपियों फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, रामलखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आसरे, पन्नालाल पटेल, शिवराम पासी व जगत बहादुर पटेल को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी।

उधर, जियाउल हक की पत्नी ने इस प्रकरण में पहले दाखिल सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट का विरोध किया था।

उन्होंने राजा भैया समेत अन्य नामजद लोगों की भूमिका की फिर से जांच की मांग रखी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम आदेश के बाद सीबीआई ने अक्तूबर 2023 में मामले की दोबारा जांच शुरू की थी। हत्याकांड में राजा भैया की भूमिका को दोबारा खंगाला गया। इसके बाद सीबीआई ने दिसंबर 2023 में दोबारा क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।

बिजली पोल से टकराया बाइक सवार, मौत

संवाददाता–महराजगंज। भिटौली थाना क्षेत्र के तुलसीपुर में सोमवार को एक सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित बाइक के बिजली पोल से टकराने के कारण बाइक सवार युवक की मौत हो गई। भिटौली थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर शिवाला निवासी हेमंत प्रजापति सोमवार को किसी जरूरी काम से अपनी मां को लेकर भिटौली गया था। अपनी मां को भिटौली छोड़ने के बाद वह अपनी चाची के मायके जोगिया जा रहा था। धर्मपुर चौराहे से होते हुए जैसे ही वह तुलसीपुर पतली नहर पर पहुंचा कि उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित बाइक सड़क किनारे लगे बिजली पोल से टकरा गई। पोल से टकराने के बाद हेमंत गंभीर रूप से घायल हो गया।

सूचना पर मौके पर पहुंची भिटौली पुलिस स्थानीय लोगों के सहयोग से उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियो के मुताबिक बाइक की स्पीड तेज थी और बिजली पोल से टकराने के बाद पोल टूटकर जमीन पर गिर गया। मृतक दो भाइयों में बड़ा था। पिता लक्ष्मण रोजी–रोटी के लिए गुजरात में काम करता है। मृतक अभी दसवीं क्लास का छात्र बताया जा रहा है। हादसे के बाद उसकी मां राजवंता का रो–रोकर बुरा हाल हो गया है। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तहरीर के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अयोध्या में यूको बैंक की समीक्षा बैठक, व्यवसाय विस्तार पर जोर

पर्यटन, धार्मिक गतिविधियों और स्थानीय कारोबार की संभावनाओं का उठाएं लाभ –राजेंद्र कुमार साबू

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या। यूको बैंक अंचल कार्यालय अयोध्या की ओर से सोमवार को होटल ताज अयोध्या में अंचल के अंतर्गत आने वाली सभी शाखाओं के शाखा प्रमुखों की समीक्षा बैठक हुई। मुख्यालय कोलकाता से पहुंचे बैंक के कार्यकारी निदेशक एवं एमडी–सीईओ के अतिरिक्त प्रभार से संबद्ध राजेंद्र कुमार साबू ने शाखा प्रमुखों से संवाद कर व्यवसाय वृद्धि और आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की। बैठक में श्री साबू ने व्यवसाय वृद्धि, ऋण वितरण, जमा वृद्धि, ग्राहक सेवा और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार समेत विभिन्न बिजनेस पैरामीटर पर दिशा–निर्देश दिए। उन्होंने शाखा प्रमुखों के साथ वन–टू–वन संवाद कर शाखावार प्रगति, स्थानीय कारोबारी संभावनाओं और भविष्य की रणनीति की जानकारी ली।उन्होंने कहा कि अयोध्या में धार्मिक पर्यटन, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में बैंकिंग कारोबार की व्यापक संभावनाएं हैं। शाखा प्रमुख स्थानीय जरूरतों और ग्राहकों की अपेक्षाओं को समझकर इन अवसरों का प्रभावी उपयोग करें और ग्राहक केंद्रित बैंकिंग सेवाओं को और मजबूत बनाएं।

श्री साबू ने 20 सितंबर को सरयू तट पर आयोजित संध्या आरती में सहभागिता की। इसके बाद हनुमानगढ़ी में दर्शन–पूजन किया। सोमवार सुबह उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्रीराम के दर्शन किए।इसके बाद अंचल कार्यालय में आयोजित संगोष्ठी में अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। श्री साबू ने व्यवसाय विस्तार, ग्राहक सेवा, कार्यकुशलता और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में अंचल प्रमुख प्रियंका यादव भी मौजूद रहीं।बैठक में विभिन्न बैंकिंग अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली शाखाओं और एक अप्रैल से अब तक उल्लेखनीय व्यवसायिक उपलब्धियां हासिल करने वाले शाखा प्रमुखों को सम्मानित किया गया। अधिकारियों को भविष्य में भी इसी उत्साह और समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

विश्वकर्मा योजना से लाभार्थियों को मिली टूलकिट

संवाददाता–बलरामपुर। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत दर्जी ट्रेड के लाभार्थियों को टूलकिट बांटी गई। सोमवार दोपहर 3 बजे जिला उद्योग कार्यालय, धर्मपुर में यह कार्यक्रम हुआ। टूलकिट में सिलाई मशीन और दर्जी काम से जुड़े दूसरे जरूरी सामान शामिल थे। टूलकिट मिलते ही लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी साफ दिखी। जिला उपायुक्त उद्योग रवि कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना से जिले के 425 लाभार्थियों को टूलकिट दी जा रही है। सभी लाभार्थियों ने 10 दिन की ट्रेनिंग पूरी की है। ट्रेनिंग के बाद योग्य लाभार्थियों के बैंक खातों में 4,500 रुपये सीधे भेजे गए हैं। टूलकिट मिलने के बाद लाभार्थियों ने कहा कि सरकार की इस पहल से उन्हें अपने हुनर को काम में बदलने का मौका मिला है। अब वे सिलाई का काम शुरू करके अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। लाभार्थियों ने यह भी बताया कि काम बढ़ने पर वे दूसरे लोगों को भी रोजगार देने की कोशिश करेंगे।

इस मौके पर जिला उपायुक्त उद्योग रवि कुमार शर्मा ने कहा कि इस योजना का मकसद पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग, टूलकिट और आर्थिक मदद देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि हुनरमंद लोगों को जरूरी चीजें मिलने से उनकी आय के नए रास्ते खुलते हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके भी बनते हैं।

हाईवे पर अखिलेश यादव को लेकर लगाए विवादित पोस्टर, फाड़े गए

संवाददाता–गोण्डा। गोंडा–लखनऊ हाईवे पर सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर विवादित पोस्टर लगाए जाने से राजनीतिक हलचल बढ़ गई। हाईवे किनारे लगाए गए पोस्टर में अखिलेश यादव को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। पता लगते ही मौके पर पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने पोस्टर फाड़ दिया। यह पोस्टर चौपाल सागर, एससीपीएम और बालपुर पुल के लगाया गया था । इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को पोस्टर लगाए जाने की जानकारी मिलने पर समाजवादी पार्टी के युवा संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया।

कार्यकर्ताओं ने पोस्टर फाड़ दिए और मामले की शिकायत कोतवाली नगर पुलिस से की। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष देवेंद्र प्रताप यादव (दीपू प्रधान) ने बताया कि इन स्थानों पर इस तरह के पोस्टर बार–बार लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार को भी आपत्तिजनक पोस्टर लगाए जाने की जानकारी मिलने पर यूथ ब्रिगेड, छात्र सभा और अन्य युवा साथियों में नाराजगी हुई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने पोस्टर हटाकर फाड़ दिए। कार्यकर्ताओं ने तत्काल प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली नगर को प्रार्थना पत्र देकर पोस्टर लगाने वाले अज्ञात लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

इस दौरान मेराज अहमद प्रदेश सचिव यूथ ब्रिगेड, जावेद अख्तर मंटू जिला प्रवक्ता, अफजल खान जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा, सिद्धार्थ सिंह मोनू जिला अध्यक्ष छात्र सभा, संजय साहू जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, लाल चंद गौतम प्रदेश सचिव लोहिया वाहिनी, आलोक यादव, विधानसभा अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड, राहुल शुक्ला, ब्लॉक अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड, मोनू यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

यूपीआई शुल्क को लेकर व्यापारी मुखर, बुलंद की आवाज

संवाददाता–महराजगंज। यूपीआई से होने वाले कुछ व्यापारी लेनदेन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क को लेकर व्यापारियों का विरोध तेज होने लगा है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था को व्यापारी हितों के विपरीत बताते हुए इसका विरोध किया है। इसका नेतृत्व जिलाध्यक्ष अनिल कुमार ने किया। व्यापरियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपते हुए चेतावनी दी कि व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला गया तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि व्यापारी पहले से विभिन्न करों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं व आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

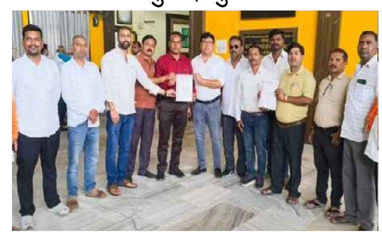

ऐसे में डिजिटल भुगतान के नाम पर नया आर्थिक भार डालना उचित नहीं है। व्यापारियों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रभारी अजय राज कसौधन ने कहा कि डिजिटल इंडिया व कैशलेस अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में छोटे और मध्यम व्यापारियों की अहम भूमिका रही है। व्यापारियों ने यूपीआई को गांव, कस्बे और बाजार तक पहुंचाया है। ऐसे में डिजिटल भुगतान व्यवस्था पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव व्यापारी हित में नहीं है।व्यापारियों ने कहा कि यदि व्यापारी हितों की अनदेखी कर शुल्क व्यवस्था लागू की गई तो व्यापार मंडल व्यापारियों की आवाज बुलंद करेगा और जरूरत पड़ने पर आंदोलन का रास्ता अपनाएगा। मंडल ने सरकार से डिजिटल भुगतान व्यवस्था को सरल, सुरक्षित व सुविधाजनक बनाए रखने के साथ व्यापारियों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचाने की मांग किया। इस दौरान सदरे आलम, संजय पांडेय, मृत्युंजय धामिया, हरिद्वार गुप्त, डॉ. सूरज सिंह, राहुल जायसवाल, मनोज मद्धेशिया, कपिल वर्मा, सुरेश गुप्ता, मोहम्मद सैफुल्लाह खान, विनोद कुमार यादव, सुरेंद्र गुप्ता समेत आदि व्यापारी मौजूद रहे।

दिव्यांग कोटे के फर्जीवाड़े की जांच देवरिया पहुंचीः दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 5 प्रमाणपत्रों की जांच की, मेडिकल प्रवेश और नौकरी में फर्जीवाड़े की आशंका

संवाददाता–देवरिया। दिल्ली में मेडिकल प्रवेश और नौकरी में दिव्यांग कोटे का लाभ लेने के लिए हुए कथित फर्जीवाड़े की जांच अब देवरिया तक पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने जिले से जारी पांच दिव्यांग प्रमाणपत्रों की जांच की है। इन सभी प्रमाणपत्रों में 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। दिल्ली में दर्ज एक केस की जांच के दौरान दिव्यांग प्रमाणपत्रों के ऑनलाइन रिकॉर्ड का मिलान किया गया। इसमें गड़बड़ी सामने आने का दावा किया गया है। दिल्ली के मौरिस नगर थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत केस दर्ज है। इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने 31 अगस्त को अलीगढ़ निवासी ललित कुमार उर्फ आदित्य को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल फरीदाबाद के जाजरू में रहता है। पुलिस के मुताबिक, ललित कुमार के पास से 16 दिव्यांग प्रमाणपत्र मिले थे। ये प्रमाणपत्र सुनने और देखने की दिव्यांगता से जुड़े बताए गए हैं। उसके पास नीट–यूजी काउंसलिंग से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं।

जांच के दौरान दिल्ली क्राइम ब्रांच की तीन सदस्यीय टीम शुक्रवार को देवरिया के सीएमओ कार्यालय पहुंची। टीम ने सीएमओ डॉ. एसके सिन्हा, दिव्यांगता नोडल अधिकारी डिप्टी सीएमओ डॉ. आरपी यादव और दिव्यांग बोर्ड के लिपिक धीरेंद्र पांडेय से प्रमाणपत्रों के संबंध में जानकारी ली। कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल शर्मा से भी पूछताछ की गई। टीम ने नोडल अधिकारी, लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर को नोटिस जारी कर दिल्ली बुलाया है। नोडल अधिकारी को 26 सितंबर और लिपिक को 25 सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। दिल्ली पुलिस की जांच में गिरफ्तार ललित कुमार उर्फ आदित्य के पास 16 दिव्यांग प्रमाणपत्र मिलने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार, सभी प्रमाणपत्र सुनने और देखने की दिव्यांगता से संबंधित थे। इनमें उत्तर प्रदेश के पते दर्ज होने की बात सामने आई है, जबकि संबंधित लोगों के आधार कार्ड पर दिल्ली का पता दर्ज बताया गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए इस्तेमाल किए गए देवरिया से जारी पांच दिव्यांग प्रमाणपत्र दिल्ली पुलिस की जांच के घेरे में हैं। इनमें एक प्रमाणपत्र जून और तीन जुलाई में जारी होने की जानकारी सामने आई है। सभी प्रमाणपत्रों में 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता दर्ज है। दिल्ली पुलिस ऑनलाइन रिकॉर्ड और विभागीय दस्तावेजों का मिलान कर रही है। पुलिस यह भी जांच रही है कि संबंधित लोगों की मेडिकल बोर्ड से जांच हुई थी या नहीं और प्रमाणपत्र जारी करने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं। दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड गठित किया जाता है। जांच के बाद दिव्यांगता का प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। इसके बाद रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाती है। प्रक्रिया के अनुसार सीएमओ के मोबाइल पर ओटीपी आने के बाद यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) जारी होती है। दिल्ली पुलिस यह जांच कर रही है कि देवरिया में यूजर आईडी से किसने लॉगिन किया, किन आवेदनों पर कार्रवाई हुई और किस स्तर से प्रमाणपत्र जारी किए गए। पुलिस ऑनलाइन प्रक्रिया में संभावित गड़बड़ी की कड़ी तलाश रही है।

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के बाद देवरिया के नोडल अधिकारी डॉ. आरपी यादव, लिपिक धीरेंद्र पांडेय और कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल शर्मा को नोटिस जारी किया है। नोडल अधिकारी को 26 सितंबर और लिपिक को 25 सितंबर को दिल्ली बुलाया गया है।

पुलिस मेडिकल बोर्ड के चिकित्सकों और तत्कालीन सीएमओ की भूमिका की भी जांच कर रही है। विभागीय स्तर पर प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया और पोर्टल पर अपलोड किए गए रिकॉर्ड की जानकारी जुटाई जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही जिम्मेदारी स्पष्ट होगी।

पौधरोपण को अभियान तक सीमित न रख जीवन का संकल्प बनाएं –विधायक

संवाददाता–गोण्डा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जनसेवा एवं समर्पण के गौरवशाली 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को विधायक तरबगज प्रेम नारायन पाण्डेय ने विधानसभा तरबगंज के गांव सिरसा के मनकापुर रोड पर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के परिसर में पौधरोपण कर हरित स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण का संदेश दिया । कहा कि हरे–भरे और स्वच्छ पर्यावरण का सीधा संबंध हमारे स्वस्थ जीवन से है। वृक्ष न केवल प्रकृति की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि शुद्ध वायु, पर्यावरणीय संतुलन और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का भी आधार हैं। विधायक ने कहा कि प्रकृति के प्रति हमारी छोटी–सी जिम्मेदारी भी भविष्य में एक बड़े सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन सकती है।

उन्होनें लोगों से आग्रह किया कि पौधरोपण को केवल एक अभियान तक सीमित न रखते हुए इसे अपने जीवन का संकल्प बनाएं। पेड़ लगाएं, उनका संरक्षण करें और स्वच्छ, स्वस्थ एवं हरित भविष्य के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में जिला पंचायत सदस्य रामधोख मिश्रा, प्रधान दुर्गा सिंह , विधायक प्रतिनीधि अनुज शुक्ला , पूर्व प्रधान वीरेंद्र तिवारी, विनय तिवारी , रेंजर अभिषेक सिंह समेत वन विभाग के अधिकारी–कर्मचारी और क्षेत्रवासी रहे।

जेएनयू शोधार्थी के निष्कासन की मांग को लेकर प्रदर्शन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

अयोध्या/लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में सोमवार को योगी सेना (भारत) के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज स्थित अटल चौराहे पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की शोधार्थी एवं एआईएसए की अध्यक्ष नेहा बोरा के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें संस्थान से निष्कासित करने की मांग की।प्रदर्शन के बाद संगठन के उपाध्यक्ष मोहित मिश्रा के नेतृत्व में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम संबोधित ज्ञापन पुलिस प्रशासन को सौंपा गया। मोहित मिश्रा ने आरोप लगाया कि नेहा बोरा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कई बार आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। इससे संत समाज और सनातन समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी व्यक्ति के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग उचित नहीं है। संगठन ने जेएनयू प्रशासन से मामले का संज्ञान लेकर शोधार्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने और उनकी स्कॉलरशिप समाप्त कर निष्कासन की मांग की।प्रदर्शन के दौरान सूरज साहू, विशाल तिवारी, सत्यम शुक्ला, चंदन सिंह, युवराज सिंह, क्षितिज शुक्ला, मुकेश गुप्ता, आयुष, रोहित राजपूत, बाबू कश्यप और मनीष जायसवाल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

चार सूत्रीय मांगों को लेकर रोजगार सेवकों ने उठाई आवाज

संवाददाता–बहराइच। ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिला महामंत्री दीपक सिंह सेंगर एवं ब्लाक अध्यक्ष हुजूरपुर अवधेश सिंह के नेतृत्व में विधायक पयागपुर सुभाष त्रिपाठी एवं सदर अनुपमा जायसवाल को मुख्यमंत्री को संबोधित 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। कहा कि हम सभी ग्राम रोजगार सेवक लगभग 19 वर्षो से ग्राम पंचायतों में महत्वपूर्ण योजना में अपनी सेवाएं दे रहे है, परंतु सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है स ब्लॉक अध्यक्ष हुजूरपुर अवधेश सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूर्ण करने, कैशलेस इलाज की सुविधा, मानदेय 24 हजार प्रतिमाह पृथक बजट से, मृतक रोजगार सेवक साथियों के परिजनों को नौकरी का लाभ देने की मांग की।

इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष पुनीत वर्मा, सुनील वाल्मीकि, राम नरेश पयागपुर, बृजेश सिंह, अरुण सिंह, शैलेंद्र सिंह, राम नरेश, प्रदीप सिंह, सुबोध सिंह, अवधेश कुमार, कुलदीप सिंह, मोहम्मद नईम, संतोष तिवारी, देवकीनंदन पाठक, आरती देवी, महेंद्र प्रताप, अब्दुल वहीद, सविता सिंह, वेद प्रकाश, जगमोहन, राकेश यादव, रामअचल, जगराम, अनिल कुमार, बच्चाराम आदि मौजूद रहे।

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल

संवाददाता–बहराइच। पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी आलोक चौहान को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 54 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत आए इस फैसले में कोर्ट ने साफ किया कि अभियुक्त के घटना के समय नाबालिग होने के कारण सजा का पालन किशोर न्याय अधिनियम के नियमों के तहत होगा।

मामला दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र का है। साल 2022 में पीड़िता के भाई ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 15 साल की बहन को बहला–फुसलाकर दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई थी। पुलिस ने धारा 376, 506 और 120बी के तहत केस दर्ज किया था। तत्कालीन उपनिरीक्षक राजेश्वर सिंह ने जांच पूरी कर 26 जुलाई 2022 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसमें आरोपी आलोक चौहान (निवासी ऊंचवा पुरैनी) के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में आरोप तय किए गए। घटना के समय आरोपी के नाबालिग होने के कारण मामला पहले किशोर न्याय बोर्ड में था।

अपराध की गंभीरता को देखते हुए 3 सितंबर 2024 को इसे बाल न्यायालय ट्रांसफर किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) ने 21 सितंबर को आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

मूल वाद सं. 365/2022

अदालत– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0)/एफ0टी0सी0 महोदय फैजाबाद

सुरेश कुमार सिंह

बनाम

चम्पा आदि

बनाम– अजय कुमार सिंह उम्र लगभग 50 वर्ष पुत्र स्व0 हर्षवर्धन निवासी ग्राम थौरी परगना जगदीशपुर तहसील मुसारिफखाना, जनपद–अमेठी

तारीख पेशी 14–10–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 14 माह 10 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 26 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

सीईओ के भरोसे राम मंदिर का कामकाज जितेन्द्र मिश्र ने संभाला कार्यभार

संवाददाता—अयोध्या। अयोध्या स्थित राम मंदिर की व्यवस्थाओं में सोमवार से सीईओ की व्यवस्था पूरी तरह प्रभावी हो गई। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नवनियुक्त सीईओ जितेंद्र मिश्र ने आधिकारिक रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया। अब वह नियमित रूप से अयोध्या और राम मंदिर परिसर में रहकर मंदिर की व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। नए सीईओ के लिए राम मंदिर परिसर स्थित पीएफसी सेंटर में कार्यालय तैयार किया गया है। यहीं से वह मंदिर की व्यवस्थाओं की निगरानी और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे। जितेंद्र मिश्रा के सामने राम मंदिर में रोजाना आने वाले बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को व्यवस्थित करना प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल होगा। दर्शन व्यवस्था, श्रद्धालुओं की आवाजाही, सुविधाओं, सुरक्षा और मंदिर परिसर से जुड़े विभिन्न कार्यों की वह नियमित समीक्षा करेंगे।

सीईओ के अयोध्या में नियमित रूप से बैठने से मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्थाओं से जुड़े फैसलों और उनके क्रियान्वयन की निगरानी भी मौके से ही हो सकेगी। संबंधित विभागों और एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा—निर्देश दिए जाएंगे। राम मंदिर परिसर में तैयार किए गए पीएफसी सेंटर स्थित कार्यालय से सीईओ मंदिर की व्यवस्थाओं का पूरा चार्ज संभालेंगे। माना जा रहा है कि अयोध्या में नियमित मौजूदगी के दौरान वह मंदिर निर्माण, संचालन व्यवस्था और श्रद्धालु सुविधाओं से जुड़े कार्यों की भी मौके पर समीक्षा करेंगे। एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जितेंद्र मिश्रा को सितंबर की शुरुआत में राम मंदिर ट्रस्ट का पहला सीईओ नियुक्त किया गया था। अब अयोध्या में उनकी नियमित मौजूदगी के साथ ट्रस्ट की प्रशासनिक और संचालन व्यवस्था में नए चरण की शुरुआत होगी।

अब सीईओ की प्राथमिकता मंदिर के मौजूदा कामकाज को समझने और व्यवस्थाओं की समीक्षा करने की होगी। वह राममंदिर के कर्मचारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिसर में हेल्प डेस्क और सूचना केंद्रों को और सक्रिय करने की तैयारी है। इसके जरिए दर्शन, प्रवेश, सुविधाओं और अन्य जरूरी सूचनाओं के लिए श्रद्धालुओं को अधिक व्यवस्थित सहायता उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। जितेंद्र मिश्र के स्थायी रूप से अयोध्या में काम संभालने के बाद मंदिर की आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था, कर्मचारियों की कार्यप्रणाली, सुरक्षा, श्रद्धालु सुविधाओं, चढ़ावे की व्यवस्था और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की समीक्षा तेज होने की संभावना है। खास बात यह होगी कि अब मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़े फैसलों के क्रियान्वयन के लिए एक केंद्रीकृत प्रशासनिक जिम्मेदारी होगी।

पुलिस टीम पर हमला, पिकअप रोकने पर सवारों ने चलाए ईंट—पत्थर, होमगार्ड घायल

संवाददाता—अंबेडकरनगर। जिले में पुलिस टीम पर हमला हो गया। पुलिस ने एक तेज रफ्तार पिकअप को रोकने का इशारा किया तो उस पर सवार लोगों ने पिकअप रोकने की बजाए पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ ईंट—पत्थर चलाने शुरू कर दिए। इस घटना में एक होमगार्ड घायल हो गया। घायल होमगार्ड महेंद्र कुमार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके पैर के निचले हिस्से में गंभीर चोट आई है। डॉक्टर उनके इलाज में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि पिकअप पर गोवंश लदा था।

घटना, अंबेडकरनगर जिले के कोतवाली जलालपुर क्षेत्र में रविवार की देर रात हुई। मिली जानकारी के अनुसार अंबेडकरनगर के जलालपुर—मालीपुर मार्ग पर परुइया डिग्री कॉलेज के पास जलालपुर कोतवाली के कांस्टेबल नागेंद्र कुमार और होमगार्ड महेंद्र कुमार गश्त पर थे। इसी दौरान जलालपुर की ओर से एक पिकअप तेज रफ्तार में मालीपुर की तरफ जाती दिखाई दी। पुलिसकर्मी ने वाहन को रोकने का प्रयास किया तो पिकअप सवार लोगों ने ईंट—पत्थरों से हमला शुरू कर दिया।

अचानक हुए हमले से कांस्टेबल नागेंद्र कुमार ने बचने का प्रयास किया। साथी को बचाने के लिए होमगार्ड महेंद्र कुमार पहुंचे तो हमलावरों ने उन पर भी पथराव कर दिया। पत्थर लगने से महेंद्र कुमार के पैर में गंभीर चोट आई और पैर का निचला हिस्सा बुरी तरह जख्मी हो गया और उस का पैर टूट गया। घटना के बाद हमलावर पिकअप लेकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पिकअप पर गोवंश लदा था। पिकअप सवारों ने अचानक पुलिस पर हमला क्यों किया यह अभी तक साफ नहीं है। शक है कि कहीं वे पशु तस्कर तो नहीं थे जो अवैध रूप से पशुओं को लेकर कहीं जा रहे हों और पुलिस को देखकर घबड़ाकर हमला बोल दिया हो। उधर, पिकअप सवारों के हमले के शिकार पुलिसकर्मियों ने थाने पर इसकी सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल होमगार्ड को अस्पताल पहुंचाया। होमगार्ड के अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू कर दिया। इधर, पुलिस फरार पिकअप और उसमें सवार लोगों की तलाश में जुटी है। कोतवाल अजय प्रताप सिंह यादव ने बताया कि घायल होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि जिस पिकअप पर सवार लोगों ने पुलिस टीम पर हमला किया उनकी और उनके वाहन दोनों की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही पिकअप और उस पर सवार रहे हमलावरों को पकड़ लिया जाएगा।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान समक्ष मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बस्ती जिला—बस्ती
मोटर दुर्घटना दावा याचिका संख्या 303/2025

दयाराम
बनाम
अभिनंदन चतुर्वेदी आदि

1. अभिनंदन चतुर्वेदी पुत्र श्री प्रकाश चौबे निवासी मोहल्ला शिवनगर ऊर्फ तुरकहिया, थाना कोतवाली बस्ती, जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश स्वामी ई—रिक्शा नंबर UP 51/BT—7464
2. शिवम साहनी पुत्र स्व० रामदीन निवासी पानी की टंकी कटरा थाना कोतवाली जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश चालक तीन पहिया ई—रिक्शा नंबर UP 51/BT—7464

तारीख पेशी 28—09—2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 28 माह 09 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

—द0 हाकिम

खोदाई मशीन लेकर पहुंचे असलहाधारी, रात में जेसीबी से ढहा दिए 17 मकान और दुकान

संवाददाता—अंबेडकरनगर। जिले में सोमवार रात करीब 11 बजे तीन खोदाई मशीन लेकर पहुंचे लोगों ने बंजर भूमि पर बने मकानों और दुकानों को ध्वस्त करा दिया। करीब 40 से 50 की संख्या में असलहाधारी पहुंचे थे। सड़क के दोनों ओर खड़े होकर रास्ता रोक लिया और आसपास मौजूद लोगों को धमकाकर वहां से हटा दिया। इसके बाद एक—एक कर मकानों को ढहा दिया गया। इस कार्रवाई से लोगों में दहशत है। मामला कोतवाली अकबरपुर के बरियावन—किछौछा मार्ग का है। आरोप है कि परिवार के साथ रह रहे लोगों को भी मकान खाली करने की धमकी दी गई। बताया गया कि जिन दुकानों में कोई निवास नहीं कर रहा था, उन्हें भी गिरा दिया गया। एक दुकान में रखा गैस सिलेंडर, कड़ाही और अन्य सामान भी उठा ले जाने का आरोप लगाया गया है। देर रात हुई इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में आक्रोश है।

लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों घटना की, पुलिस को समय रहते भनक नहीं लगी। सुबह एसडीएम प्रतीक्षा सिंह, क्षेत्राधिकारी नितीश तिवारी, कोतवाल संतोष कुमार सिंह राजस्व व पुलिस टीम के साथ पहुंचकर जांच कर रहे है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मामले की जांच राजस्व व पुलिस टीम कर रही है। जांच के बाद ही घटना में शामिल लोगों और मकानों को ध्वस्त किए जाने की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। डॉ. चंद्रदेव, जयराम, कमलेश, राजेश, विपिन, रवींद्र, सुरेंद्र कुमार, राकेश, नरेंद्रनाथ, राजू, संदीप कुमार रंजन, रामकीरत, शोभाराम और अनिल कुमार धरिकर समेत करीब 17 लोगों के आवास व दुकान ध्वस्त किए गए। सोनू सोनी को असलहा दिखाकर मकान खाली करने की धमकी दी गई। अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि उनकी दुकान में रखा सिलेंडर, कड़ाही और अन्य सामान भी आरोपित उठा ले गए।

डक्कू के जेल से बाहर आते ही सपा में घमासान, 'चिरकुट' वाले बयान पर जिलाध्यक्ष का पलटवार

संवाददाता—संतकबीरनगर। सपा नेता जफर अमीन डक्कू के जेल से बाहर आते ही पार्टी के भीतर एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। डक्कू और सपा जिलाध्यक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी विवाद में पार्षद शहाब अंसारी भी सामने आ गए हैं और उन्होंने डक्कू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल, शहर के खोखर टोला में एक महिला से विवाद के बाद डक्कू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया था। जेल में रहने के दौरान डक्कू ने सपा जिलाध्यक्ष और तीन पार्षदों को पत्र भेजा था।

विज्ञापन उन्होंने कहा था कि जिन लोगों के पास उनसे मिलने के लिए दो मिनट का समय नहीं था, वे अब जेल में उनसे मिलने न आएं। डक्कू के इस पत्र पर जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम ने पलटवार करते हुए कहा था कि वह पार्टी के लिए जेल नहीं गए थे, बल्कि निजी जमीन के मामले में जेल गए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि डक्कू ने उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके बाद वह उनसे मिलने नहीं जाएंगे। शनिवार देर शाम जेल से बाहर आने के बाद डक्कू ने एक नेता को श्चिरकुटश बताते हुए कहा कि वह उनके खिलाफ काम कर रहा है। हालांकि डक्कू ने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है और वह अपने बयान पर कायम हैं।

बहन की डोली की तैयारी के बीच उठी भाई की अर्थी, सिपाही अभिषेक सिंह की मौत से दोहरी खुशियों पर पसरा मातम

संवाददाता—गोरखपुर। महुआपार निवासी सिपाही अभिषेक सिंह की मौत ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। जिस घर में बड़ी बहन अंकिता सिंह की शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब भाई की अर्थी उठने से हर आंख नम है। करीब एक सप्ताह पहले अभिषेक गांव आया। बड़ी मां के साथ बहन की शादी के लिए खरीदारी भी की थी। हाल ही में लेखपाल भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद परिवार बेहतर भविष्य को लेकर उत्साहित था। ऐसे में आत्मघाती कदम से स्वजन ही नहीं, गांव के लोग भी स्तब्ध हैं। सहजनवा के महुआपार निवासी धर्मेंद्र सिंह के तीन बच्चों में अभिषेक दूसरे नंबर पर था और शादी नहीं हुई थी। बड़ी बहन अंकिता की शादी को लेकर घर में तैयारियां चल रही थीं, जबकि छोटा भाई शिवांश इंटर की पढ़ाई कर रहा है। पिता खेती करने के साथ निजी कार चला कर परिवार की जिम्मेदारियों में सहयोग करते हैं। अभिषेक ने इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की थी। इसी दौरान पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर चयन हुआ। नौकरी के साथ वह निजी वाहन भी चलाता था और घर की जरूरतों में हाथ बंटाता था। लेखपाल भर्ती परीक्षा पास करने के बाद परिजनों को भविष्य को लेकर और उम्मीदें जगी थीं। अंकिता की शादी को लेकर घर में उत्साह था। परिवार के लोग कपड़े, सामान और अन्य जरूरी चीजों की खरीदारी में जुटे थे। अभिषेक भी तैयारियों में बढ़—चढ़कर शामिल था। एक सप्ताह पहले बड़ी मां के साथ खरीदारी की थी। अचानक मौत से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। स्वजन का रो—रोकर बुरा हाल है। इंटर के बाद अभिषेक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया था। मेहनत के बाद चयन पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर हुआ। नौकरी के साथ लेखपाल भर्ती परीक्षा भी उत्तीर्ण कर लिया। परिवार को आगे बेहतर करियर की उम्मीद थी। गांव में अभिषेक और थाने के प्रभारी के बीच संबंध ठीक नहीं होने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि दो दिन पहले किसी मामले के सिलसिले में अभिषेक देवरिया गया था। स्वजन एसपी जौनपुर से मिलकर संबंधित थानेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग किए हैं। घटना के बाद से एसओ के थाने पर नहीं होने की भी चर्चा है।

कोचिंग से लौट रहे छात्रों पर बदमाशों ने की फायरिंग, वीडियो वायरल

संवाददाता—संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के कांटे गांव के बाहर सोमवार सुबह कोचिंग से लौट रहे दसवीं के दो छात्रों पर फायरिंग का मामला सामने आया है।

तीन बाइकों से आए छह बदमाशों ने छात्रों की बाइक रोककर उनके साथ मारपीट की। जब लोग बीच—बचाव के लिए आगे बढ़े, तो एक युवक ने पिस्टल निकालकर हवा में फायर कर दिया, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

राजपुर सरैया गांव निवासी रमन यादव, जो कक्षा दस का छात्र है, सोमवार सुबह करीब छह बजे अपने मित्र हरिओम गौतम के साथ बाइक से कांटे स्थित कोचिंग सेंटर पहुंचा था। दोनों छात्र करीब सवा सात बजे कोचिंग से पढ़ाई कर घर लौट रहे थे। कांटे गांव से कुछ दूरी पर पहुंचते ही तीन बाइकों पर आए युवकों ने उनकी बाइक रोक ली। सभी ने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। बाइक रुकते ही युवकों ने दोनों छात्रों को पीटना शुरू कर दिया। मारपीट देखकर आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे। लोगों ने बीच—बचाव का प्रयास किया, तभी आरोपितों में से एक युवक ने पिस्टल निकालकर हवा में फायर कर दिया। गोली चलने की आवाज से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। फायरिंग के बाद आरोपित वहां से भागने लगे, लेकिन छात्रों और ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ लिया। सूचना मिलने पर कांटे चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़े गए युवक को हिरासत में ले लिया। घटना के वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) खलीलाबाद बस्ती जिला—बस्ती
मूलवाद सं0—385/2025

शिव कुमार यादव आदि
बनाम
राममिलन यादव आदि

1. राम मिलन यादव पुत्र स्व० सम्पत यादव उम्र करीब 70 वर्ष 2. रामफेर पुत्र स्व० सम्पत यादव उम्र करीब 75 वर्ष 3. सूरज उम्र लगभग 28 वर्ष 4. नीरज उम्र लगभग 27 वर्ष 5. धीरज उम्र लगभग 23 वर्ष पुत्रगण स्व० राम सहाय 6. शुभावती विधवा स्त्री स्व० राम सहाय उम्र करीब 50 वर्ष निवासीगण—साकिनान—अरइल पट्टी पोस्ट रामपुर रेवटी तप्पा कोरऊ परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 09—12—2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 09 माह 12 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

—द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0—T202617140404357
धारा 209ज उ0प्र0रा0सं0—2006
अदालत— श्रीमान तहसीलदार महोदय रूधौली जिला—बस्ती

श्यामा देवी
बनाम
अभिषेक कुमार

मौजा मूड़ाडीहा उर्फ भूपालपुर
1. वीरेन्द्र प्रताप पुत्र विश्वनाथ साकिन मूड़ाडीहा उर्फ भूपालपुर तप्पा रूधौली परगना मगहर पश्चिम तहसील रूधौली जिला बस्ती

तारीख पेशी 28—09—2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 28 माह 09 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 21 माह 09 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

— द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0—1138/2022
धारा 80 उ0प्र0रा0सं0—2006
अदालत— श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय सदर बस्ती जिला—बस्ती

किसमती
बनाम
सरकार

मौजा वानडीह उर्फ मिश्रौलिया तप्पा देवरांव परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती
1. किसमती पत्नी वंशू निवासी मिश्रौलिया उर्फ वानडीह तप्पा देवरांव परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 27—09—2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 27 माह 09 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 15 माह 09 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

— द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
अदालत— श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) बस्ती मण्डल महोदय बस्ती जिला—बस्ती
अपील सं0— C202617000000181

मनोज कुमार आदि
बनाम
हरीराम आदि

1. हरीराम पुत्र शिवमंगल ग्राम पड़ियापार तप्पा डीही परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती 2. ग्राम पंचायत पड़ियापार द्वारा प्रधान तप्पा डीही परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 08—10—2026

अपील बनराजी आदेश अदालत उप जिलाधिकारी (न्यायिक) मुकाम बस्ती
मयरिखा 20 महीना 01 सन् 2026 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 08 महीना 10 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख माह सन 20 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय—श्रीमान प्रथम अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
वाद सं0— 172/2017

राममिलन आदि
बनाम
मिथिलेश कुमार आदि

2/3 तुलसीराम पुत्र जवाहर लाल
2/4 सरोजनी देवी पुत्री जवाहर लाल साकिनान मौजा जगतपुरा तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरव तहसील भानपुर जिला बस्ती

तारीख पेशी 10—11—2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 10 माह 11 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा। बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

—द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय—श्रीमान ग्राम न्यायालय भानपुर बस्ती जिला—बस्ती
मूलवाद सं0—1452/2022

सूरतराम
बनाम
संतोष कुमार आदि

1. संतोष कुमार उम्र 40 साल पुत्र सन्तराम साकिन तुसायल तप्पा सगरा परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला बस्ती

—प्रतिवादी प्रथम वर्ग

2. राम कुमार वालिग 3. रामउजागिर वालिग पुत्रगण सुखराम 4. विल्हू वालिग 5. हृदायी वालिग पुत्रगण कन्हई 6. गोविन्द वालिग 7. पूजन वालिग पुत्रगण रामतेज 8. दिनेश वालिग 9. रवि वालिग 10. मिथुन वालिग 11. घनश्याम वालिग 12. संदीप वालिग पुत्रगण लक्ष्मीनरायन 13. भानमती वालिग पत्नी लक्ष्मनरायन 14. चन्द्रिका वालिग पुत्र मंगरे 15. भगवती पुत्र रामसमुझ साकिनान मौजा तुसायल तप्पा सगरा परगना रसूलपुर तहसील भानपुर जिला बस्ती

—प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 24—09—2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 24 माह 09 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख 18 माह 09 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

—द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय—श्रीमान प्रथम अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला—बस्ती
वाद सं0— 332/1987

रामू सिंह
बनाम
मुन्नी देवी आदि

7/1 मालती देवी पत्नी सूबेदार सिंह
7/2 रमेश सिंह पुत्र सूबेदार सिंह
7/3 सुनील सिंह पुत्र सूबेदार सिंह
7/4 सर्वेश सिंह पुत्र दिनेश सिंह
7/5 उत्कर्ष सिंह पुत्र दिनेश सिंह
निवासीगण मौजा गडहादलथम्हन तप्पा अतरोह परगना बस्ती पश्चिम तहसील हरैया जिला बस्ती पोस्ट महुवाडाबर

तारीख पेशी 25—09—2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 25 माह 09 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा। बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

—द0 हाकिम

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा माध्यमिक शिक्षा परिषद (उ.प्र.) हाई स्कूल वर्ष 2018 अनुक्रमांक **2427325** का अंक पत्र, सह प्रमाण—पत्र वास्तव में खो गया है।

(मो0 शादाब)
पुत्र अशरफ अली
ग्राम—गोभिया पोस्ट—ऐनपुर
जनपद— बस्ती (उ.प्र.)

दैनिक भारतीय बस्ती

संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1—4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक—**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक—**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या—फैजाबाद कार्यालय— चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या—फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय— आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय— इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com